

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर
आदेश

क्रमांक 373 /लेखा/रा.मं./2021

बिलासपुर, दिनांक ०४ .2.2021

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा लघुमूल कार्य के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये तकनीकी स्वीकृति के आधार पर गैर आवासीय इमारतों के वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या 8 मुख्य शीर्ष 2052 सचिवालय सामान्य सेवायें 099-3657 राजस्व बोर्ड के उद्देश्य शीर्ष 27 लघुनिर्माण कार्य के विस्तृत शीर्ष 006 अन्य के अंतर्गत लघुमूल कार्यों के लिये निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	कार्य	प्रशासकीय स्वीकृति	क्रियान्वयन एजेन्सी
1	2	3	4
1.	M.O.W. Estimate for Supply & fixing of water cooler with RO Purification system, in newly constructed Rajasva Mandal office at Bilaspur (C.G.)	1,07,000 / -	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि/यां.) संभाग, बिलासपुर

शर्त :-

- स्वीकृत कार्य प्राक्कलन के अनुरूप स्वीकृति राशि के अंतर्गत ही किया जावे।
- इस कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी जावेगी।
- निर्माण कार्य का सम्पादन कार्य विभाग नियमावली 1963 में उल्लेखित में नियम तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- प्राक्कलन में प्राक्कलित मात्रा व दरें मात्र आकलन के लिए हैं, नियमानुसार वास्तविक भुगतान किया जावे।
- कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जावे।
(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)




सचिव

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़
बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक ०४ .2.2021

पृ. क्रमांक 373 A /लेखा/रा.मं./2021
प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर/रायपुर।
- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि/यां.) संभाग, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- देयक शाखा, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



सचिव

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़
बिलासपुर